रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2013/आश्विन 2, 1935

No. 248] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2013/ASVINA 2, 1935

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2013

सं. एन–12/13/2/2010–यो. एवं विकास.—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 में और संशोधन करने के कतिपय मसौदा विनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप–धारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4, दिनांक 23 फरवरी, 2013 में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से भारत के राजपत्र की प्रतियां जिनमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति तक, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;

तथा जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 23 फरवरी, 2013 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी ;

तथा जबकि इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

इसलिए अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (साधारण) विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) (संशोधन) विनियम, 2013 कहे जाएंगे ।

(2) ये 1 जून, 2013 से लागू होंगे ।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 में ;

1. विनियम 76–ख में, शब्द "5.00 रु. प्रतिदिन" के स्थान पर "10.00 रु. प्रतिदिन" और शब्द "30,000 रु." के स्थान पर शब्द "60,000 रु." प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2. निम्नलिखित नया विनियम 110 अंतर्निविष्ट किया जाएगा, नामतः :–

"**विनियम 110 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के सूत्रपात की कार्यान्वयन प्रक्रिया.**–इन विनियमों में कुछ भी समाविष्ट होने पर जहां भी ऑन लाइन प्रणाली के प्रकार्य को पुनः स्थापित किया गया है अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन कारखाने/स्थापना और कर्मचारियों का पंजीकरण, अंशदान फाइल करना, चालानों को बनाने, अंशदानों का भुगतान, हितलाभ के लिए दावों की प्रस्तुति और प्रक्रमण और संबंधित प्रक्रिया, जहां कहीं भी आवश्यक हो, आवश्यक डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ, जैसा कि महानिदेशक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया हो, विनियमों के अंतर्गत की जाएगी ।"

जोस चेरियन, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन–III/4/असाधारण/94/13]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2013

No. N-12/13/2/2010-P&D.—Whereas certain draft regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, were published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated 23rd February, 2013 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 23rd February, 2013;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following regulations further to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, namely:—

(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance (General) (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force from 1st June, 2013.

(3) In the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

1. In regulation 76-B, the words, "Rs. 5.00 per day" shall be substituted with the words, "Rs. 10.00 per day" and the words, "Rs. 30,000" shall be substituted with the words, "Rs. 60,000";
2. the following new regulation 110 shall be inserted, namely:—

"**Regulation 110. Procedure on implementation of Information Technology (IT) Roll Out.—** Notwithstanding anything contained in these Regulations, wherever, "on-line system" of functioning has been introduced, the registration of factory/establishment and employees, filing of contributions, generation of challans, payment of contributions, submission and processing of claims for benefits and all other related procedures under the Act and the Rules and Regulations made thereunder, shall be submitted/made on-line, with necessary digital signatures, wherever required, under these regulations, as may be specified by the Director General from time to time."

JOSE CHERIAN, Insurance Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./94/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.